प्रेस-विज्ञप्ति

सार्वजनिक सलाहकार टिप्पणी

दमण एवं दीव की आम जनता की सुविधा के लिए उक्त सूचना जारी की जाती है कि अभय सिंह बनाम भारत गणराज्य एवं अन्य के मामले में विशेष अवकाश याचिका सं. 25237/2010 के तहत उच्चाधिकारियों के वाहनों पर लगाये जाने वाले लाल, नीले एवं विविध रंग की लाईट के संदर्भ में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार दमण एवं दीव प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर वाहन पर लगाये जानेवाली बत्तियों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अधिसूचना सं.ADM/LAW/81/2013-14/763 दिनांक 20/02/2014 के तहत संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के प्रशासक महोदय ने सरकारी वाहनों में लगाई जाने वाली लाल, नीले एवं विविध रंग की बत्तियों के लिए पात्रता रखने वाले पदधारियों को विनिर्दिष्ट किया है।

इस अधिसूचना के तहत संघ प्रदेश दमण एवं दीव में केवल प्रशासक महोदय ही चमकती हुई लाल-बत्ती वाले वाहन का प्रयोग कर सकेंगे। पुनः माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण चमकती हुई लाल-बत्ती वाले वाहन का प्रयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मुम्बई पीठ के अध्यक्ष बिना चमकती हुई लाल-बत्ती वाले वाहन का प्रयोग कर सकेंगे।

संघ प्रदेश दमण एवं दीव के पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप-महानिरीक्षक, समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, आपातकालीन वाहन (एम्बुलेंस / रक्षा और आपदा प्रबंधन) के वाहनों एवं परिवहन विभाग के प्रवर्तन वाहन में चमकती हुई नीली-बत्ती का प्रयोग किया जा सकेगा। पुनः, दमण एवं दीव के उप-जिला मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मैजिस्ट्रेट तथा उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी/ अवर पुलिस अधीक्षक चमक-रहित नीली बत्ती वाले वाहन का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के प्रवर्तन वाहन में चमकती हुई विविध रंगवाले बत्ती के प्रयोग की अनुमति होगी।

अगर किसी वाहन के ऊपर पहले से ही लाईट लगी हो और उसमें विनिर्दिष्ट अधिकारी नहीं मौजूद हों, तो इसका प्रयोग न करते हुए काले आवरण से उसे ढ़कना अनिवार्य होगा। उक्त अधिसूचना पूर्व की सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए जारी की गई है। यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।